न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 06.07.2020

(1) अपील संख्या 2020/00057

उनवान

1 सुन्दरलाल पुत्र धूलीलाल मृतक जरिये कायम मुकामान--
1/1 राधेश्याम पुत्र सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/2 रामप्यारी पुत्री सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/3 सत्यनारायण पुत्र सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/4 चमेली बाई पुत्री सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/5 ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/6 संतोष पुत्री सुन्दरलाल पत्नी परमानन्द, जाति माली, निवासी निपानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/7 रमेश पुत्र सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/8 किशना बाई पुत्री सुन्दरलाल पत्नी रामकुंवार, जाति माली, निवासी चौकी बोरदा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1 जगन्नाथ पुत्र भैरूलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
2. भंवरी पुत्री बिरधा मृतक जरिये कायम मुकामान (2 वर्ष पूर्व)–
2/1 परमानन्द पुत्र बाबूलाल
2/2 शांति बाई पुत्री बाबूलाल
निवासीगण रायपुरिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
3. छोट्या पुत्र रोड़ा मृतक जरिये कायम मुकामान (1 वर्ष पूर्व)–
3/1 धनराज पुत्र छोट्या
3/2 राकेश पुत्र छोट्या
3/3 प्रेम बाई बेवा छोट्या
3/4 गायत्री पुत्री छोट्या
3/5 सावित्री पुत्री छोट्या
3/6 बादाम पुत्री छोट्या
3/7 विमला पुत्री छोट्या
जाति माली, निवासीगण हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
4. रत्तीराम पुत्र रोड़ा मृतक जरिये कायम मुकामान –
4/1 रतनी बाई बेवा रत्तीराम
4/2 रामचन्दर पुत्र रत्तीराम
4/3 देवलाल पुत्र रत्तीराम
4/4 बजनिया पुत्र रत्तीराम
जाति माली, निवासीगण हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ हाल मुकाम नई कॉलोनी तालाब के पास, मांगरोल रोड, बारां
5 गणेश पुत्र रोड़ा मृतक जरिये कायम मुकामान –
5/1 घीसी बाई बेवा गणेश, जाति माली, हाल मुकाम सारोलाखुर्द, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
5/2 रेवडी बाई पुत्री गणेशराम पत्नी धनराज, जाति माली, निवासी मालनवासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
6 रत्तीराम पुत्र कंवरया मृतक जरिये कायम मुकामान –
6/1 श्याम पुत्र रत्तीराम, जाति नाई, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
6/2 महावीर पुत्र रत्तीराम, जाति नाई, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
6/3 जसोदा बाई पुत्री रत्तीराम पत्नी बंशीलाल, जाति नाई, हाल मुकाम राजगढ़, तहसील सांगोद, कोटा
6/4 कौशल्या बाई पुत्री रत्तीराम पत्नी बालचंद, जाति नाई, हाल मुकाम झालावाड़
6/5 कमली बाई पुत्री रत्तीराम पत्नी पुरुषोत्तम, जाति नाई, हाल मुकाम कैथून, जिला कोटा
6/6 बदामी बाई पुत्री रत्तीराम पत्नी मीठ्ठूलाल, जाति नाई, निवासी रेलगांव जिला कोटा
7 मथुरालाल पुत्र कंवरया मृतक जरिये कायम मुकामान –
7/1 कान्हा पुत्र मथुरालाल लाऔलाद फौत
7/2 रामनिवास पुत्र मथुरालाल, जाति नाई, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
8 हीरालाल पुत्र जमनालाल, जाति माली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
9 कैलाश बाई पुत्री जमनालाल पत्नी बृजमोहन, जाति माली, निवासी गणी तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

11 केदार पुत्र हीरालाल, जाति धाकड़, निवासी खेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
12 लटूर पुत्र हीरालाल, जाति धाकड़, निवासी खेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
13. गोपाल पुत्र हीरालाल मृतक जरिये कायम मुकामान –
13/1 राधेश्याम पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी खेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
13/2 मूलचन्द पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी खेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
13/3 धनराज पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी खेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
13/4 ओमप्रकाश पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी खेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
13/5 राममूर्ति बाई पुत्री गोपाल पत्नी भवानीशंकर, जाति धाकड़, निवासी खेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ हाल मुकाम कंवरपुरा मण्डवालान, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

(2) अपील संख्या 2020/00058 दायरा दिनांक : 06.07.2020

उनवान

1– केदार पुत्र हीरालाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
2 लटूर पुत्र हीरालाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3 गोपाल पुत्र हीरालाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान–
3/1 राधेश्याम पुत्र स्व० गोपाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/2 मूलचन्द पुत्र स्व० गोपाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/3 धनराज पुत्र स्व० गोपाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/4 ओमप्रकाश पुत्र स्व० गोपाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/5 राममूर्ति पुत्री स्व० गोपाल पत्नी भवानीशंकर, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला हाल झालावाड कंवरपुरा मण्डवालान, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1 जगन्नाथ पुत्र भैरूलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
2 भंवरी पुत्री बिरधा, जाति माली, निवासी ग्राम रामपुरिया, तहसील अटरू, जिला बांरा मृतक जरिये कायम मुकामान –
2/1 बाबूलाल पुत्र भंवरी मृतक जरिये काम मुकामान –
2/1/1 परमानन्द पुत्र स्व० बाबूलाल
2/1/2 शान्ति बाई पुत्री स्व० बाबूलाल, जाति माली, निवासीगण ग्राम रामपुरिया, तहसील अटरू, जिला बांरा राज०
3 छोटया पुत्र रोडा, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान –
3/1 धनराज पुत्र स्व0 छोटया, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/2 राकेश पुत्र स्व0 छोटया, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/3 गायत्री पुत्री स्व0 छोटया, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/4 सावित्री पुत्री स्व0 छोटया, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/5 बादाम पुत्री स्व0 छोटया, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/6 विमला पुत्री स्व0 छोटया, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/7 प्रेम बाई बेवा स्व0 छोटया, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
4 रत्तीराम पुत्र रोडा, जाति माली, निवासी हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान –
4/1 रतनी बाई बेवा स्व0 रत्तीराम
4/2 रामचन्दर पुत्र स्व0 रत्तीराम
4/3 देवलाल पुत्र स्व0 रत्तीराम
4/4 बजनिया पुत्र स्व0 रत्तीराम,
जाति माली, निवासीगण हरिगढ हाल मुकाम नई कोलोनी तालाब के पास मांगरोल रोड, बारां
5 गणेश पुत्र रोडा, जाति माली, निवासी हरीगढ हाल मुकाम नई कोलोनी तालाब के पास मांगरोल रोड, बांरा मृतक जरिये कायम मुकामान –
5/1 घीसी बाई बेवा स्व० गणेश, जाति माली निवासीनी हाल मुकाम सारोला खुर्द, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
5/2 रेवडी बाई नाबालिग पुत्री स्व० गणेश जरिये संरक्षक माता घीसी बाई, जाति माली, निवासीनी हाल मुकाम सारोला खुर्द, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
[illegible] प्राधिकारी, कोटा

6 सुन्दरलाल पुत्र धूलीलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान –
6/1 राधेश्याम पुत्र स्व० सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6/2 रामप्यारी पुत्री स्व० सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6/3 सत्यनारायण पुत्र स्व० सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6/4 चमेली बाई पुत्री स्व० सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6/5 ओमप्रकाश पुत्र स्व० सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6/6 सन्तोष पुत्री स्व० सुन्दरलाल पत्नी परमानन्द, जाति माली, निवासी निपानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6/7 रमेश पुत्र स्व० सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6/8 किशना बाई पुत्री सुन्दरलाल पत्नी रामकुवार, जाति माली, निवासी चौकी बोरदा, जिला बारां
7 रत्तीराम पुत्र कवंरया, जाति नाई, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान –
7/1 श्यामा पुत्री स्व० रत्तीराम, जाति नाई, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
7/2 महावीर पुत्र स्व० रत्तीराम, जाति नाई, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
7/3 जसोदा बाई पुत्री स्व० रत्तीराम पत्नी बंशीलाल, जाति नाई, निवासी हाल मुकाम राजगढ मध्यप्रदेश
7/4 कोशल्या पुत्री स्व० रत्तीराम पत्नी बालचन्द, जाति नाई, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
7/5 कमली बाई स्व० रत्तीराम पत्नी पुरुषोतम, जाति नाई, निवासी हाल मुकाम कैथून, जिला कोटा
7/6 बदामी बाई पुत्री रत्तीराम पत्नी मिठ्ठूलाल, जाति नाई, निवासी रेलगांव, जिला कोटा
8 मथुरालाल पुत्र कवंरया, जाति नाई, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान –
8/1 कान्हा पुत्र मथुरालाल, जाति नाई, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
8/2 रामनिवास पुत्र मथुरालाल, जाति नाई, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
9 हीरालाल पुत्र जमनालाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
10 कैलाशी बाई पुत्री जमनालाल पत्नी बृजमोहन, जाति माली, निवासी ग्राम बणी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
11 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

...... रेस्पोडेंट

(3) अपील संख्या 2020/00066 **दायरा दिनांक : 06.07.2020**

उनवान

1 सुन्दरलाल पुत्र धूलीलाल मृतक जरिये कायम मुकामान–
1/1 राधेश्याम पुत्र सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/2 रामप्यारी पुत्री सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/3 सत्यनारायण पुत्र सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/4 चमेली बाई पुत्री सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/5 ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/6 संतोष पुत्री सुन्दरलाल पत्नी परमानन्द, जाति माली, निवासी निपानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/7 रमेश पुत्र सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/8 किशना बाई पुत्री सुन्दरलाल पत्नी रामकुंवार, जाति माली, निवासी चौकी बोरदा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1 जगन्नाथ पुत्र भैरूलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
2. भंवरी पुत्री बिरधा मृतक जरिये कायम मुकामान (2 वर्ष पूर्व)–
2/1 परमानन्द पुत्र बाबूलाल
2/2 शांति बाई पुत्री बाबूलाल
निवासीगण रायपुरिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
3. छोट्या पुत्र रोड़ा मृतक जरिये कायम मुकामान (1 वर्ष पूर्व)–
3/1 धनराज पुत्र छोट्या
3/2 राकेश पुत्र छोट्या
3/3 प्रेम बाई बेवा छोट्या
3/4 गायत्री पुत्री छोट्या
3/5 सावित्री पुत्री छोट्या
3/6 बादाम पुत्री छोट्या

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3/7 विमला पुत्री छोट्या
जाति माली, निवासीगण हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

4. रत्तीराम पुत्र रोड़ा मृतक जरिये कायम मुकामान –
4/1 रतनी बाई बेवा रत्तीराम
4/2 रामचन्दर पुत्र रत्तीराम
4/3 देवलाल पुत्र रत्तीराम
4/4 बजनिया पुत्र रत्तीराम
जाति माली, निवासीगण हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ हाल मुकाम नई कॉलोनी तालाब के पास, मांगरोल रोड, बारां

5 गणेश पुत्र रोड़ा मृतक जरिये कायम मुकामान –
5/1 घीसी बाई बेवा गणेश, जाति माली, हाल मुकाम सारोलाखुर्द, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
5/2 रेवडी बाई पुत्री गणेशराम पत्नी धनराज, जाति माली, निवासी मालनवासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6 रत्तीराम पुत्र कंवरया मृतक जरिये कायम मुकामान –
6/1 श्याम पुत्र रत्तीराम, जाति नाई, निवासी हरीगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
6/2 महावीर पुत्र रत्तीराम, जाति नाई, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
6/3 जसोदा बाई पुत्री रत्तीराम पत्नी बंशीलाल, जाति नाई, हाल मुकाम राजगढ, तहसील सांगोद, कोटा
6/4 कौशल्या बाई पुत्री रत्तीराम पत्नी बालचंद, जाति नाई, हाल मुकाम झालावाड़
6/5 कमली बाई पुत्री रत्तीराम पत्नी पुरुषोत्तम, जाति नाई, हाल मुकाम कैथून, जिला कोटा
6/6 बदामी बाई पुत्री रत्तीराम पत्नी मीठूलाल, जाति नाई, निवासी रेलगांव जिला कोटा

7 मथुरालाल पुत्र कंवरया मृतक जरिये कायम मुकामान –
7/1 कान्हा पुत्र मथुरालाल लाऔलाद फौत
7/2 रामनिवास पुत्र मथुरालाल, जाति नाई, निवासी हरीगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

8 हीरालाल पुत्र जमनालाल, जाति माली, निवासी हरीगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
9 कैलाश बाई पुत्री जमनालाल पत्नी बृजमोहन, जाति माली, निवासी गणी तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़
11 केदार पुत्र हीरालाल, जाति धाकड, निवासी खेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
12 लटूर पुत्र हीरालाल, जाति धाकड़, निवासी खेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
13. गोपाल पुत्र हीरालाल मृतक जरिये कायम मुकामान –
13/1 राधेश्याम पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी खेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
13/2 मूलचन्द पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी खेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
13/3 धनराज पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी खेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
13/4 ओमप्रकाश पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी खेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
13/5 राममूर्ति बाई पुत्री गोपाल पत्नी भवानीशंकर, जाति धाकड़, निवासी खेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ हाल मुकाम कंवरपुरा मण्डवालान, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

...... रेस्पोडेंट

दायरा दिनांक : 06.07.2020

(4) अपील संख्या 2020/00067

उनवान

1– केदार पुत्र हीरालाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
2 लटूर पुत्र हीरालाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3 गोपाल पुत्र हीरालाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान–
3/1 राधेश्याम पुत्र स्व० गोपाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/2 मूलचन्द पुत्र स्व० गोपाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/3 धनराज पुत्र स्व० गोपाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/4 ओमप्रकाश पुत्र स्व० गोपाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/5 राममूर्ति पुत्री स्व० गोपाल पत्नी भवानीशंकर, जाति धाकड, निवासी ग्राम खेडा, तहसील खानपुर, जिला हाल झालावाड कंवरपुरा मण्डवालान, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1 जगन्नाथ पुत्र भैरूलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
2 भंवरी पुत्री बिरधा, जाति माली, निवासी ग्राम रामपुरिया, तहसील अटरू, जिला बांरा मृतक जरिये कायम मुकामान –
2/1 बाबूलाल पुत्र भंवरी मृतक जरिये काम मुकामान –

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2/1/1 परमानन्द पुत्र स्व० बाबूलाल
2/1/2 शान्ति बाई पुत्री स्व० बाबूलाल, जाति माली, निवासीगण ग्राम रामपुरिया, तहसील अटरू, जिला बारां राज०
3 छोटया पुत्र रोडा, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान –
3/1 धनराज पुत्र स्व0 छोटया, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/2 राकेश पुत्र स्व0 छोटया, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/3 गायत्री पुत्री स्व0 छोटया, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/4 सावित्री पुत्री स्व0 छोटया, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/5 बादाम पुत्री स्व0 छोटया, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/6 विमला पुत्री स्व0 छोटया, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3/7 प्रेम बाई बेवा स्व0 छोटया, जाति माली, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
4 रत्तीराम पुत्र रोडा, जाति माली, निवासी हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान –
4/1 रतनी बाई बेवा स्व0 रत्तीराम
4/2 रामचन्दर पुत्र स्व0 रत्तीराम
4/3 देवलाल पुत्र स्व0 रत्तीराम
4/4 बजनिया पुत्र स्व0 रत्तीराम,
जाति माली, निवासीगण हरिगढ हाल मुकाम नई कोलोनी तालाब के पास मांगरोल रोड, बारां
5 गणेश पुत्र रोडा, जाति माली, निवासी हरीगढ हाल मुकाम नई कोलोनी तालाब के पास मांगरोल रोड, बारां मृतक जरिये कायम मुकामान –
5/1 घीसी बाई बेवा स्व० गणेश, जाति माली निवासीनी हाल मुकाम सारोला खुर्द, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
5/2 रेवडी बाई नाबालिग पुत्री स्व० गणेश जरिये संरक्षक माता घीसी बाई, जाति माली, निवासीनी हाल मुकाम सारोला खुर्द, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6 सुन्दरलाल पुत्र धूलीलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान –
6/1 राधेश्याम पुत्र स्व० सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6/2 रामप्यारी पुत्री स्व० सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6/3 सत्यनारायण पुत्र स्व० सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6/4 चमेली बाई पुत्री स्व० सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6/5 ओमप्रकाश पुत्र स्व० सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6/6 सन्तोष पुत्री स्व० सुन्दरलाल पत्नी परमानन्द, जाति माली, निवासी निपानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6/7 रमेश पुत्र स्व० सुन्दरलाल, जाति माली, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
6/8 किशना बाई पुत्री सुन्दरलाल पत्नी रामकुवार, जाति माली, निवासी चौकी बोरदा, जिला बारां
7 रत्तीराम पुत्र कवंरया, जाति नाई, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान –
7/1 श्यामा पुत्री स्व० रत्तीराम, जाति नाई, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
7/2 महावीर पुत्र स्व० रत्तीराम, जाति नाई, निवासी हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
7/3 जसोदा बाई पुत्री स्व० रत्तीराम पत्नी बंशीलाल, जाति नाई, निवासी हाल मुकाम राजगढ मध्यप्रदेश
7/4 कोशल्या पुत्री स्व० रत्तीराम पत्नी बालचन्द, जाति नाई, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
7/5 कमली बाई स्व० रत्तीराम पत्नी पुरुषोतम, जाति नाई, निवासी हाल मुकाम कैथून, जिला कोटा
7/6 बदामी बाई पुत्री रत्तीराम पत्नी मिठठूलाल, जाति नाई, निवासी रेलगांव, जिला कोटा
8 मथुरालाल पुत्र कवंरया, जाति नाई, निवासी हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान –
8/1 कान्हा पुत्र मथुरालाल, जाति नाई, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
8/2 रामनिवास पुत्र मथुरालाल, जाति नाई, निवासी हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
9 हीरालाल पुत्र जमनालाल, जाति माली, निवासी हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
10 कैलाशी बाई पुत्री जमनालाल पत्नी बृजमोहन, जाति माली, निवासी ग्राम बणी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
11 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

..... रेस्पोडेंट

(दीप्ति रामचंन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अपील संख्या 2020/58 व 2020/67 श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं.1 की ओर से
अपील संख्या 2020/57 व 2020/66 श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत रेस्पोडेंट नं. 11 से 13/5 एवं
श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं.1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 11.01.2024**

ये दोनों अपीले एवं ये दोनों काउंटर क्लेम एक समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले एवं ये दोनों काउंटर क्लेम अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 936/दावा/2016 (पूर्व मिसल नम्बर 468/2008) निर्णय दिनांक 23.10.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

ये दोनों अपीले एवं ये दोनों काउंटर क्लेम के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बाघेर, तहसील खानपुर के माल में वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 8 के शामलाती खाते की आराजी स्थित है। खसरा नम्बर 201 क्षेत्रफल 54 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 क्षेत्रफल 40 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 क्षेत्रफल 9 बीघा 11 बिस्वा कुल 3 किता कुल क्षेत्रफल 104 बीघा 08 बिस्वा आराजी थी। वाद की मद नं. 1 में वर्णित सम्वत 2028 में 117 बीघा 17 बिस्वा आराजी थी। विवरण आराजी निम्न प्रकार है – खसरा नम्बर 201 क्षेत्रफल 54 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 202 क्षेत्रफल 13 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 क्षेत्रफल 40 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 क्षेत्रफल 9 बीघा 11 बिस्वा कुल 4 किता कुल क्षेत्रफल 117 बीघा 17 बिस्वा आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 23.10.2019 से वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण 5/1 लगायत 5/6, प्रतिवादी नं. 6/1 लगायत 6/2 का काउण्टर क्लेम साबित होने से स्वीकार किया जाकर डिकी किया तथा ग्राम बाघेर की खसरा नम्बर 202 की 13.10 बीघा, खसरा नम्बर 206 की 40.02 बीघा कुल 2 किता 53.12 बीघा आराजी में वादी नं. 1 हिस्सा 1/3, वादी नं. 2 हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नं. 7, 8 हिस्सा 1/3 में हि. ब. खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम बाघेर की खसरा नम्बर 201 की 54.15 बीघा, खसरा नम्बर 207 की 9.11 बीघा कुल 2 किता की 64.06 बीघा आराजी में प्रतिवादी नं. 5/1 लगायत 5/6 हिस्सा 1/2 में हि. ब., प्रतिवादी नं. 6/1 लगायत 6/2 हिस्सा 1/2 में हिस्सा बराबर से खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी नं. 1, प्रतिवादी नं. 2/1 लगायत 2/4, प्रतिवादी 3/1 लगायत 3/2 प्रतिवादी 4/1 लगायत 4/3, प्रतिवादी 10, 11, 12/1 लगायत 12/5 सहित अन्य सहखातेदारान के नाम खाते से खारिज हो। तद्नुसार पर्चा डिकी जारी हो, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपीले पेश की गई।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीले एवं दोनों काउंटर क्लेम के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

अपील संख्या 00057/2020 व 00066/2020 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि तथा पत्रावली के विरूद्ध है तथा निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के वाद व प्रार्थना पत्र जिसमें वादीगण ने विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी कम 4 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने की प्रार्थना की है तथा अपीलाण्ट (प्रतिवादी कम 4) के विरूद्ध पूरे वाद में कोई वर्णन नहीं है तथा प्रार्थना पत्र में वादीगण के साथ अपीलाण्ट (प्रतिवादी कम 4) का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने की प्रार्थना की है तथा निर्णय में अपीलाण्ट (प्रतिवादी कम 4) का नाम हटा दिया, जो अवैध व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 4 बिना प्लिडिंग के बनाई है, जो प्लिडिंग के बाहर होने से अवैध है तथा ऐसी तनकी पर निर्णय नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में बिना प्रारम्भिक डिक्री पारित किये अंतिम डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि की है, जबकि वादी स्वयं ने भूमि सम्मिलित खातेदारी व कब्जे में बताई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर के न्यायालय द्वारा रिमांड करने के पश्चात् बिना समस्त पक्षकारान को सूचना दिये निर्णय दिया है, जो शून्य है। वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अपने वाद में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी कम 1, 2, 3 द्वारा 14.04 बीघा दिनांक 12.05.1971 को बेचान कर दी, इस बेचान को न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.01.1976 को बेअसर घोषित कर दिया। इस प्रकार जब

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बेचान बेअसर हो गया तो भूमि पूर्व में खातेदारों के नाम दर्ज होगी। रेस्पोडेन्ट कम 2, 3 दो वर्ष पूर्व फौत हो चुके थे जिनके वारिस रिकार्ड पर लिये बिना वाद मृतक वादी व मृतक प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिना सूचना के तथा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध तथा प्लिडिंग के विरूद्ध है तथा मृतक वादी नं. 2 प्रतिवादी कम 1 के पक्षकारों के है, जो शून्य है। ऐसे शून्य निर्णय की अपील की कोई अवधि नहीं होती तथा जानकारी से अपील पेश की जा सकती है। निर्णय सर्वथा अवैध व शून्य है तथा निर्णय की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा बताने पर नकल निर्णय लेने पर दिनांक 09.07.2020 को हुई, तारीख जानकारी से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे ।

अपील संख्या 00058/2020 व 00067/2020 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी (रस्पोडेण्ट कम–1 व 2) द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादी कम–5/1 लगायत 5/6, प्रतिवादी कम–6/1 लगायत 6/2 का काउण्टर क्लेम अन्तगर्त धारा 53 91. 188 आर. टी. एक्ट स्वीकार फरमाकर ग्राम बाघेर की आराजी खसरा नम्बर 202 की 13.10 बीघा, खसरा नम्बर 206 की 40.02 बीघा कुल 2 किता की 53.12 बीघा आराजी में वादी कम–1 हिस्सा 1/3, वादी कम 2 हिस्सा 1/3, प्रतिवादी कम 7, 8 हिस्सा 1/3 बहैसियत खातेदार टीनेन्ट घोषित करने एवं ग्राम बाघेर की खसरा नम्बर 201 की 54.15 बीघा, खसरा नम्बर 207 की 9.11 बीघा कुल किता 2 की 64.06 बीघा आराजी मे प्रतिवादी कम 5/1 लगायत 5/6 हिस्सा 1/2 में हिस्सा बराबर प्रतिवादी कम 6/1 लगायत 6/2 हिस्सा 1/2 में हिस्सा बराबर से खातेदार घोषित करने के साथ ही प्रतिवादी कम–1, प्रतिवादी कम 2/1 लगायत 2/4, प्रतिवादी कम 3/1 लगायत 3/2, प्रतिवादी कम 4/1 लगायत 4/3, प्रतिवादी कम 10, 11, 12/1 लगायत 12/5 सहित अन्य सहखातेदार के नाम खाते से खारिज किये जाने उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करने का निर्णय एवं डिकी सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी पर रहन का अंकन यथावत रखने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का त्रुटिपूर्ण विवेचन करते हुए निर्णय एवं डिकी जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट कम 1 व 2 को उक्त वाद के किसी भी नोटिस व सम्मन की सम्यक तामील नहीं की गई थी और ना ही किसी प्रकार से अपीलाण्ट कम 1 व 2 को उक्त बाद की कोई जानकारी ही थी। उक्त वाद में अपीलाण्ट कम 1 व 2 के पिता का नाम भी गलत अकिंत किया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाण्ट को नोटिस की सम्यक तामील करवाये बिना ही तथा उन्हें सूचना व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही उक्त अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर मनमर्जी रूप से निर्णय एवं डिकी जैर अपील पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। अपील विषयक आराजी खसरा नम्बर 201, 202, 206, 207 का सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 7 था, खसरा नम्बर 7 रकबा 115 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम बाघेर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड के खातेदार गोपाल, जमना, जगन्नाथ पुत्र भैरया, रोडू, धूल्या पुत्र औकार हिस्सा 1/2 बराबर जाति माली, कवरिया बेटा मोती जाति नाई हिस्सा 1/2 रहा था। उक्त आराजी में रोडू के निधन के पश्चात् रोडू के वारिसान छोटया, रत्तीराम, गणेश, चंदरी बाई के द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से अपीलाण्ट कम 1 व 2 व गोपाल पुत्र हीरालाल को बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था एवं श्रीमान ए.एस.ओ. सा० मिसल नम्बर–3 दिनांक 27.09.1972 के तहत खसरा नम्बर 202 पर केदारलाल, गोपाल, लटूर पिसरान हीरालाल धाकड सा० देह हरिगढ़ के खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया था। उक्त आदेश कभी भी किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया और आज भी प्रभावशील है। अपीलाण्ट कम 1 व 2 गोपाल पुत्र हीरालाल गोपाल के निधन के उपरान्त उसके वारिस अपीलाण्ट कम 3/1 लगायत 3/5 खरीद से ही अपील विषयक आराजी खसरा नम्बर–202 रकबा 13.10 हैक्टर पर निरन्तर बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है और वर्तमान में भी है। अपीलाण्ट मध्य अपील विषयक आराजी का आपसी सहमति से बंटवारा हो गया है जिसमें खसरा नम्बर 202 की 0.72 हैक्टर केदारलाल के खातेदारी में, खसरा नम्बर 202/1210 रकबा 0.7284 हैक्टर लटूर पुत्र हीरालाल के खातेदारी में एवं खसरा नम्बर 202/1211 रकबा 0.7284 हैक्टर अपीलाण्ट कम–3/1 लगायत 3/5 के खातेदारी में चली आ रही है। वादी (रस्पोडेण्ट कम 1 व 2) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रस्तुत वाद में अपीलाण्ट के पिता का नाम हीरालाल के स्थान पर धूलीलाल गलत अंकित किया गया है। अधीनस्थ

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिकी दिनांक 23.10.2019 जिस भूमि खसरा नम्बर 202 वाके ग्राम बाघरे के संबंध में पारित किया है, वह भूमि अपीलाण्ट की रिकॉर्डेड व खातेदारी व कब्जे की भूमि है, जिस पर अपीलाण्ट खरीद के उपरान्त से ही निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आलोच्य निर्णय व डिकी से उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदारान के हित व अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण अपीलाण्ट उक्त आलोच्य निर्णय व डिकी से एग्रीव्यड प्रसन्न है और अपीलाण्ट के हित व अधिकार की सुरक्षा व न्यायालय प्राप्ति के लिए माननीय न्यायालय की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए अपील में केदार पुत्र धूलीलाल, लटूर पुत्र धूलीलाल, गोपाल पुत्र धूलीलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलाण्ट के अपील विषय आराजी मे हित निहित है व अपीलाण्ट के हित व अधिकार प्रभावित हो रहे हैं जिसके संबंध में अपीलाण्ट द्वारा धारा 96 सी.आर.पी.सी का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलाण्ट दावे में वर्णित तथा बेचान पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 7 जिसके बाद सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 202 कायम किये पर विकय पत्र निष्पादित करने के पश्चात् से ही निर्बाध रूप से शान्तिपूर्ण तरीके से बिना किसी रूकावट के बतौर खातेदार टीनेन्ट मालिक खातेदार काश्तकार के तौर पर काश्त करता चला आ रहा है और राजस्व लगान का भुगतान भी अपीलाण्ट द्वारा किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 202 पर अपीलाण्ट काबिज है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में बखूबी प्रमाणित होने के उपरान्त भी निर्णय एवं डिकी जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। रोडू के वारिसान द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपना हिस्सा जर्ये विकय पत्र दिनांक 15.01.1971 से अपीलाण्ट को वैधानिक रूप से बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया था और तब से ही उक्त भूमि पर जिसके नये खसरा नम्बर 202 कायम किये पर अपीलाण्ट ही वैधानिक रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। श्रीमान ए. एस. ओ सा० मिसल नम्बर 3 दिनांक 27.09.1972 के तहत खसरा नम्बर 202 पर केदारलाल, गोपाल, लटूर पिसरान हीरालाल धाकड सा० देह हरिगढ़ के खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया था। उक्त आदेश कभी भी किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया और आज भी प्रभावशील है। रेस्पो0 कम–1 लगायत 8 को भी उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी रही है। पूर्व में सुन्दरलाल ने अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध उक्त अपील विषयक आराजी के संबंध मे वाद पेश किया था, जो दिनांक 31.03.2003 को खारिज फरमाया जा चुका है जिसकी जानकारी भी उक्त रेस्पोडेण्ट को रही है इसके बावजूद भी दुर्भाविक आशय से रेस्पोडेण्ट कम 6 ने सम्पूर्ण वास्तविक तथ्यों को छुपाकर झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर काउण्टर क्लेम पेश किया और अधीनस्थ न्यायालय के यहां से उक्त झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पूर्णतया अस्वच्छ हाथों से निर्णय व डिकी जैर अपील पारित करवा लिया, जो गलत गैर कानूनी व अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज व वादी के वाद में अकिंत कथनों से स्पष्ट था कि उक्त वादग्रस्त आराजी रोडू के वारिसान को रोडू की मृत्यु के पश्चात् विरासत में प्राप्त हुई है, जो धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनकी स्वअर्जित कृषि आराजी है और रोडू के वारिसान को अपील स्वअर्जित हिस्सा आराजी को अपनी स्वेच्छा से कहीं पर भी रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि करने के सभी विधिक अधिकार प्राप्त है। जिसके कारण रोडू के वारिसान द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित वैयनामा पर आपत्ति करने का रेस्पोडेण्ट कम 1 लगायत 8 को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की अवेहलना करते हुए मनमर्जी रूप से निर्णय एवं डिकी जैर अपील पारित करने में गम्भीर त्रुटि की है। बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में कानूनन रजिस्टर्ड विकय पत्र को अवैध प्रभाव शून्य निरस्त बेअसर किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है, जिस कारण जब तक रेस्पोडेण्टस द्वारा विकय पत्र दिनांक 15.01.1971 को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता, तब तक उसके पक्ष में किसी भी प्रकार की अवधारण नहीं की जा सकती है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी रूप से तनकी नम्बर 3 में निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.01.1976 की त्रुटिपूर्ण रूप से विवेचना कर निर्णय जैर अपील डिकी पारित करने में त्रुटि की है। अपील विषयक आराजी खसरा नम्बर 202 पर अपीलाण्ट बतौर खातेदार टीनेन्ट मालिक काबिज काश्त निरन्तर चला आ रहा है रेस्पोडेन्ट कम–1 लगायत 8 का अपील विषयक आराजी खसरा नम्बर 202 पर कब्जा नहीं है, उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय से भी स्पष्ट है। कानूनन कब्जे के अभाव मे खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 6 की त्रुटिपूर्ण रूप से विवेचना करते हुए प्रतिवादी कम–5/1, 5/2, 6/2 (रस्पोडेण्ट कम–7/1, 7/2, 8/2) के काउण्टर क्लेम को स्वीकार कर प्रतिवादी कम 5/1 लगायत 5/6 एवं प्रतिवादी कम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6/1 लगायत 6/2 (रेस्पोडेण्ट कम 7/1 लगायत 7/6 व रेस्पोडेण्ट कम 8/1, 8/2) को अपील विषयक आराजी में कुल रकबा 117.18 बीघा में सहखातेदार घोषित करने व अपने हिस्से का विभाजन कराकर कब्जा आराजी प्राप्त करने का निर्णय जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। वादी कम 2/रेस्पोडेण्ट कम 2 भंवरी पुत्री बिरधा की वर्ष 2018 में मृत्यु हो चुकी है एवं प्रतिवादी कम 1 छोट्या (रेस्पोडेण्ट कम 3) की वर्ष 2019 में मृत्यु हो चुकी है। उक्त तथ्य की जानकारी वादी कम 1 व रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी कम 4 लगायत 10 को पूर्व से रही है इसके बावजूद भी उक्त व्यक्तियों द्वारा मृतक के कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए मृतक व्यक्ति के पक्ष में निर्णय एव डिकी और अपील विधि विरुद्ध रूप से पारित करवा ली जो निरस्त किये जाने के योग्य है और प्रतिवादी कम 4 सुन्दरलाल की मृत्यु के बाद उनके सम्पूर्ण वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, किन्तु सुन्दरलाल के पुत्र सत्यनारायण को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया है इस प्रकार नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टीज के आधार पर भी निर्णय व डिकी और अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट्स को उक्त निर्णय व डिकी जैर अपील की कोई जानकारी नहीं रही है अपीलाण्ट कम 3/1 लगायत 3/5 अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था जिनके द्वारा उक्त अपीलाण्ट को हर तारीख पेशी पर आने से मना कर रखा था और कह रखा था कि जब भी आवश्यकता होगी तो उन्हें बुला लेगे। किन्तु उक्त अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के संबंध में कभी कोई प्रकरण की सूचना नहीं दी गई और उक्त अपीलाण्ट द्वारा जानकारी करने के बाद भी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। अपीलाण्ट कम 1 व 2 के विरुद्ध उक्त प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अपीलाण्ट्स को उक्त निर्णय व डिकी जैर अपील की कोई जानकारी नहीं रही है। उक्त निर्णय एवं डिकी जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट्स को तब हुई तब अभी हाल में ही दिनांक 11.06.2020 को रेस्पोडेण्ट कम–1, 5, 6 ने अपीलान्ट्स के उक्त खातेदारी की अपील विषय भूमि पर आकर अपीलाण्ट को निर्णय व डिकी दिनांक 23.10.2019 की फोटो प्रति देते हुए उक्त अपील विषयक आराजी पर से बेदखल करने की धमकी दी, इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा अगले ही दिन सम्यक तत्परता बरतते हुए दिनांक 12.06.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के यहां निर्णय व डिकी की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर नकल दिनांक 12.06.2020 को प्राप्त हुई इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा रूपयों का इंतजाम कर तुरन्त प्रभाव यह अपील सर्वप्रथम जानकारी की तिथी दिनांक 11.06.2020 से यह अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है। धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एव डिकी की एक प्रमाणित प्रतिलिपि ही प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने विषयक आराजी के संबंध में त्रुटिपूर्ण रूप से दावा एवं काउण्टर क्लेम स्वीकार किया है जिसके कारण दावा व काउण्टर क्लेम भी पृथक–पृथक अपील किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एक अन्य अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है, उक्त अपील काउण्टर कलेम स्वीकार किये जाने के विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है। जिसके साथ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिकी की फोटोप्रति के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाण्ट शीघ्र ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा। ऐसी स्थिति में अपील दर्ज रजिस्टर कर अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करें। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 23.10.2019 को निरस्त फरमायी जाये। रेस्पोडेण्ट्स कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद एवं रेस्पोडेण्ट कम–7/1, 7/2, 8/2 का काउण्टर क्लेम निरस्त फरमाया जाये।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.06.2020 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

धारा 96 सी. पी. सी.

प्रार्थीगण/अपीलांट कम 1 व 2 निम्न निवेदन करते है–

यह कि वादी (रस्पोडेण्ट कम 1 व 2) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रस्तुत वाद में अपीलांट के पिता का नाम हीरालाल के स्थान पर धूलीलाल गलत अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिकी दिनांक 23.10.2019 जिस भूमि खसरा नम्बर 202 वाके ग्राम बाघेर के संबंध में पारित किया है,

(दीप्ति रामचंद्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वह भूमि अपीलाण्ट की रिकॉर्डेड व खातेदारी व कब्जे की भूमि है जिस पर अपीलाण्ट खरीद के उपरान्त से ही निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आलोच्य निर्णय व डिकी से उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदारान के हित व अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। जिसके कारण अपीलाण्ट उक्त आलोच्य निर्णय व डिकी से एग्रीव्यड प्रसन्न है और अपीलाण्ट के हित व अधिकार की सुरक्षा व न्याय प्राप्ति के लिए माननीय न्यायालय की अनुमति से आलोच्य निर्णय व डिकी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट्स/प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के आलोच्य निर्णय व डिकी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

चारों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं सुन्दरलाल ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा एक वाद यह कहते हुऐ, अन्तर्गत धारा 53, 91, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट पेश किया कि ग्राम बाघेर की भूमि खसरा नम्बर 201 की 54.15 बीघा, खसरा नम्बर 206 डी 40.02 बीघा व खसरा नम्बर 207 की 9.11 बीघा भूमि पर से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का नाम सह खातेदारी से हटाया जाकर सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी कम 4 लगायत 8 को खातेदार घोषित किया जावे। वाद में अगर श्रीमान वाद की प्रार्थना का अवलोकन करेगें तो उपरोक्त वर्णित कथन करते हुऐ ही दावा पेश किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलाण्ट (प्रतिवादी कम 4) के विरूद्ध किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं की है, और अपीलाण्ट का खातेदारी से अवैध रूप से नाम हटाना ही प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 4 बिना प्लीडिंग व प्रार्थना के बनाई है, जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी नहीं कर अन्तिम डिक्री का निर्णय पारित किया है, जबकि बंटवारे के वाद में पहले प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है और विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की और पक्षकारों को बिना सूचना दिये निर्णय पारित किया है। रेस्पोण्डेन्ट नम्बर 1 व 2 द्वारा वाद में स्वीकार किया है कि पूर्व वाद के निर्णय से बेचान बेअसर हो गया तो भूमि पूर्व खातेदारों के नाम दर्ज होना चाहिए थी एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पूर्व फोत होने के बावजूद निर्णय पारित किया है, और रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 के वारिसों को रेकॉर्ड पर नहीं लिया गया है। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय शून्य व अवैध है। अतः प्रार्थना है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त फरमाया जाकर रिमाण्ड किया जावे व पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः निर्णय पारित करने का निर्देश दिया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं काउंटर क्लेम की लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 91, 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम बाघेर की खसरा नम्बर 201 की 54.15, बीघा खसरा नम्बर 206 की 40.02 बीघा, खसरा नम्बर 2007 की 9.11 बीघा आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 (रेस्पोडेण्ट कम 3 लगायत 5) का नाम सहखातेदार से हटाकर सम्पूर्ण आराजी पर रेस्पोडेण्ट कम 1 व 2 एवं 6, 7, 8 को खातेदार घोषित किया जाकर एवं वादीगण (रेस्पोडेण्ट कम 1 व 2) के हिस्से की आराजी पृथक खाते दर्ज की जावे एवं रेस्पोडेण्ट कम 3 लगायत 5 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये। तदोपरान्त उक्त वादीगण ने संशोधित वाद पत्र पेश किया कि ग्राम बाघेर की खसरा नम्बर 201 की 54.15 बीघा खसरा नम्बर 206 की 40.02 बीघा, खसरा नम्बर 207 की 9.11 बीघा खसरा नम्बर 202 की 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि कुल 4 किता कुल रकबा 117.17 बीघा आराजी पर से प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 (रेस्पोडेण्ट कम 3 लगायत 5) का नाम सहखातेदार से हटाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेण्ट कम 1 व 2 एवं 6, 7, 8 को खातेदार घोषित किया जाकर एवं सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण (रेस्पोडेण्ट कम 1 व 2) रेस्पोडेन्ट कम 6, 7, 8 को शामलात खातेदार घोषित किया जावे एवं वादीगण (रेस्पोडेण्ट कम 1 व 2) के हिस्से की आराजी पृथक खाते दर्ज की जावे एवं रेस्पोडेण्ट कम 3 लगायत 5 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें। उक्त वाद में सुनवायी प्राप्त सबूतों के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
[illegible] प्राधिकारी, कोटा

आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15.09.2004 को वादीगण/रेस्पोडेण्ट कम 1 व 2 वाद खारिज कर दिया तदोपरान्त उक्त वादीगण/रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे सारहीन मानते हुए दिनांक 08.05.2008 को खारिज फरमा दी गई तत्पश्चात उक्त रेस्पोडेण्ट कम 1 व 2 द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर अपील पेश की जिस पर प्रकरण को रिमाण्ड कर केदार, गोपाल लटूर पुत्र हीरालाल धाकड़ की पक्षकार बनाकर तलब कर दोनों ही पक्ष को साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर वाद पत्र का गुणावगुण का निरतारण करने बाबत आदेश पारित किया गया था। किन्तु वादी द्वारा केदार, गोपाल लटूर पुत्र हीरालाल धाकड को पक्षकार नहीं बनाकर गलत वल्दियत अंकित करते हुये कार्यवाही पेश की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 का वाद व रेस्पोडेंट कम 7/1, 7/2 व 8/2 का काउण्टर कलेम स्वीकार कर त्रुटिपूर्ण तरीके से निर्णय व डिक्री जरिये अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जिसकी अप्रसन्नता से अपील निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत करते है–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी (रेस्पोडेण्ट कम 1 व 2) द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादी कम 5/1 लगायत 5/6, प्रतिवादी कम 6/1 लगायत 6/2 का काउण्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 53, 91, 188 आर. टी. एक्ट स्वीकार फरमाकर ग्राम बाघेर की खसरा नम्बर 202 की 13.10 बीघा, खसरा नम्बर 206 की 40.02 बीघा कुल 2 किता की 53.12 बीघा आराजी में वादी कम 1 हिस्सा 1/3, वादी कम 2 हिस्सा 1/3 प्रतिवादी कम 7, 8 हिस्सा 1/3, बहैसियत खातेदार टीनेन्ट घोषित करने एवं ग्राम बाघेर की खसरा नम्बर 201 की 54.15 बीघा, खसरा नम्बर 207 की 9.11 बीघा कुल किता 2 की 64.06 बीघा आराजी में प्रतिवादी कम 5/1 लगायत 5/6 हिस्सा 1/2 में हिस्सा बराबर प्रतिवादी कम 6/1 लगायत 6/2 हिस्सा 1/2 में हिस्सा बराबर से खातेदार घोषित करने साथ ही प्रतिवादी कम 1, प्रतिवादी कम 2/1 लगायत 2/4 प्रतिवादी कम 3/1 लगायत 3/2, प्रतिवादी कम 4/1 लगायत 4/3, प्रतिवादी कम 10, 11, 12/1 लगायत 12/5 सहित अन्य सहखातेदार के नाम खाते से खारिज किये जाने उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का निर्णय एवं डिकी सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी पर रहन का अंकन यथावत रखने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का त्रुटिपूर्ण विवेचना करते हुए निर्णय एवं डिकी जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट कम 1 व 2 को उक्त वाद के किसी भी नोटिस व सम्मन की सम्यक तामील नहीं की गई थी और ना ही किसी प्रकार से अपीलाण्ट कम 1 व 2 को उक्त वाद की कोई जानकारी ही थी। उक्त वाद में अपीलांट कम 1 व 2 की पिता का नाम भी गलत अंकित किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाण्ट को नोटिस की सम्यक तामील करवाये बिना ही तथा उन्हें सूचना व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही उक्त अपीलांट्स के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर मनमर्जी रूप से निर्णय एवं डिकी जैर अपील पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। अपील विषयक आराजी खसरा नम्बर 201, 202, 206, 207 का सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 7 था खसरा नम्बर 7 रकबा 115 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम बाघेर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड के खातेदार गोपाल, जमना, जगन्नाथ पुत्र भैरया रोडू, धूल्या पुत्र औकार हिस्सा 1/2 बराबर जाति माली, कंवरिया बेटा मोती, जाति नाई हिस्सा 1/2 रहा था। उक्त आराजी में रोडू के निधन के पश्चात रोडू के वारिसान छोटया, रत्तीराम, गणेश चदंरी बाई के द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपीलांट कम 1 व 2 व गोपाल पुत्र हीरालाल को बेचान कर कब्जा सुर्पुद कर दिया था एवं श्रीमान ए.एस.आ. सा० मिसल नम्बर 3 दिनांक 27.09.1972 के तहत खसरा नम्बर 202 पर केदारलाल, गोपाल, लटूर पिसरान हीरालाल धाकड सा0 देह हरिगढ़ के खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया था। उक्त आदेश कभी भी किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया ओर आज भी प्रभावशील है। अपीलांट कम 1 व 2, गोपाल पुत्र हीरालाल गोपाल के निधन के उपरान्त उसके वारिस अपीलांट कम 3/1 लगायत 3/5 खरीद से ही अपील विषयक आराजी खसरा नम्बर 202 रकबा 13.10 हेक्टर पर निरन्तर बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं और वर्तमान में भी है। अपीलाण्ट मध्य अपील विषयक आराजी का आपसी सहमति से बंटवारा हो गया है जिसमें खसरा नम्बर 202 की 0.72 हेक्टर केदारलाल के खातेदारी में खसरा नम्बर 202/1210 रकबा 0.7254 हेक्टर, लटूर पुत्र हीरालाल के खातेदारी में एवं खसरा नम्बर 202/1211 रकबा 0.7284 हेक्टर अपीलान्ट कम 3/1 लगायत 3/5 के

(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खातेदारी में चली आ रही है। वादी (रेस्पोडेण्ट कम 1 व 2) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रस्तुत वाद मे अपीलाण्ट के पिता का नाम हीरालाल के स्थान पर धूलीलाल गलत अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिकी दिनांक 23.10.2019 जिस भूमि खसरा नम्बर 202 वाके ग्राम बाछेर के संबंध मे पारित किया है, वह भूमि अपीलाण्ट की रिकॉर्डेड व खातेदारी व कब्जे की भूमि है जिस पर अपीलाण्ट खरीद के उपरान्त से ही निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आलोच्य निर्णय व डिकी से उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदारान के हित व अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण अपीलाण्ट उक्त आलोच्य निर्णय व डिकी से एग्रीव्हड प्रसन्न है और अपीलाण्ट के हित व अधिकार की सुरक्षा व न्यायालय प्राप्ति के लिए माननीय न्यायालय की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए अपील मे केदार पुत्र धूलीलाल, लटूर पुत्र धूलीलाल, गोपाल पुत्र धूलीलाल को पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलाण्ट के अपील विषयक आराजी मे हित निहित है व अपीलाण्ट के हित व अधिकार प्रभावित हो रहे है जिसके संबंध में अपीलाण्ट द्वारा धारा 96 सी.आर.पी.सी का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलांट दावे में वर्णित तथा बेचान पत्र मे वर्णित खसरा नम्बर 7 जिसके बाद सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 202 कायम किये पर विक्रय पत्र निष्पादित करने के पश्चात से ही निर्बाध रूप से शान्तिपूर्ण तरीके से बिना किसी रूकावट के बतौर खातेदार टीनेन्ट मालिक खातेदार काश्तकार के तौर पर काश्त करता चला आ रहा है और राजस्व लगान का भुगतान भी अपीलाण्ट द्वारा किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 202 पर अपीलाण्ट काबिज है उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में बखूबी प्रमाणित होने के उपरान्त भी निर्णय एवं डिकी जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। रोडू के वारिसान द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपना हिस्सा जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 15.01.1971 से अपीलाण्ट को वैधानिक रूप से बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया था और तब से ही उक्त भूमि पर जिसके नये खसरा नम्बर 202 कायम किये पर अपीलाण्ट ही वैधानिक रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। श्रीमान ए.एस.ओ. सा० मिसल नम्बर 3 दिनांक 27.09.1972 के तहत खसरा नम्बर 202 पर केदारलाल, गोपाल, लटूर पिसरान हीरालाल धाकड सा० देह हरिगढ़ के खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया था। उक्त आदेश कभी भी किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया और आज भी प्रभावशील है। रेस्पों. कम 1 लगायत 8 को भी उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी रही है। पूर्व मे सुन्दरलाल ने अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेण्ट के विरुद्ध उक्त अपील विषयक आराजी के संबंध में वाद पेश किया था जो दिनांक 31.03.2003 को खारिज फरमाया जा चुका है जिसकी जानकारी भी उक्त रेस्पोडेण्ट को रही है इसके बावजूद भी दुर्भाविक आशय से रेस्पोडेण्ट कम 6 ने सम्पूर्ण वास्तविक तथ्यों को छुपाकर झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर काउण्टर क्लेम पेश किया और अधीनस्थ न्यायालय के यहां से उक्त झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पूर्णतया अस्वच्छ हाथों से निर्णय व डिकी जैर अपील पारित करवा लिया जो गलत गैर कानूनी व अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज व वादी के वाद में अंकित कथनों से स्पष्ट था कि उक्त वादग्रस्त आराजी रोडू के वारिसान को रोडू की मृत्यु के पश्चात विरासत में प्राप्त हुई है जो धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनकी स्वअर्जित कृषि आराजी है और रोडू के वारिसान को अपील स्वअर्जित हिस्सा आराजी को अपनी स्वेच्छा से कहीं पर भी रहन, बेचान हस्तान्तरण आदि करने के सभी विधिक अधिकार प्राप्त हैं। जिसके कारण रोडू के वारिसान द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित बैयनामा पर आपत्ति करने का रेस्पोडेण्ट कम 1 लगायत 8 को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की अवेहलना करते हुए मनमर्जी रूप से निर्णय एवं डिकी और अपील पारित करने में गम्भीर त्रुटि की है। बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में कानून रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अवैध, प्रभाव शून्य, निरस्त बेअसर किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है जिस कारण जब तक रेस्पोडेण्ट्स द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 15.01.1971 को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक उसके पक्ष में किसी भी प्रकार की अवधारण नहीं की जा सकती है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी रूप से तनकी नम्बर–3 में निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.01.1976 की त्रुटिपूर्ण रूप से विवेचना कर निर्णय जैर अपील डिकी पारित करने में त्रुटि की है। अपील विषयक आराजी खसरा नम्बर 202 पर अपीलाण्ट बतौर खातेदार टीनेन्ट मालिक काबिज काश्त निरन्तर चला आ रहा है रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 8 का अपील विषयक आराजी खसरा नम्बर 202 पर कब्जा नहीं है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय से भी स्पष्ट है। कानूनन कब्जे के अभाव में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर–6 की त्रुटिपूर्ण

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
[illegible] प्राधिकारी, कोटा

रूप से विवेचना करते हुए प्रतिवादी कम 5/1, 5/2, 6/2 (रेस्पोडेण्ट कम 7/1, 7/2, 8/2) के काउण्टर क्लेम को स्वीकार कर प्रतिवादी कम 5/1 लगायत 5/6 एवं प्रतिवादी कम 6/1 लगायत 6/2 (रेस्पोडेण्ट कम 7/1 लगायत 7/6 व रेस्पोडेंट कम 8/1, 8/2) को अपील विषयक आराजी में कुल रकबा 117.18 बीघा में सहखातेदार घोषित करने में अपने हिस्से का विभाजन कराकर कब्जा आराजी प्राप्त करने का निर्णय जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। वादी कम 2/रेस्पोडेण्ट कम 2 भंवरी पुत्री बिरधा की वर्ष 2018 में मृत्यु हो चुकी है एवं प्रतिवादी कम 1 छोटया (रेस्पोडेण्ट कम 3) की वर्ष 2019 में मृत्यु हो चुकी है। उक्त तथ्य की जानकारी वादी कम 1 व रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी कम 4 लगायत 10 को पूर्व से रही है इसके बावजूद भी उक्त व्यक्तियों द्वारा मृतक के कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए मृतक व्यक्ति के पक्ष में निर्णय एवं डिकी जैर अपील विधि विरुद्ध रूप से पारित करवा ली जो निरस्त किये जाने के योग्य है और प्रतिवादी कम 4 सुन्दरलाल की मृत्यु के बाद उनके सम्पूर्ण वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, किन्तु सुन्दरलाल के पुत्र सत्यनारायण को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया है इस प्रकार नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टीज के आधार पर भी निर्णय व डिकी जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट्स को उक्त निर्णय व डिकी जैर अपील की कोई जानकारी नहीं रही है। अपीलाण्ट कम 3/1 लगायत 3/5 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था जिनके द्वारा उक्त अपीलाण्ट को हर तारीख पेशी पर आने से मना कर रखा था और कह रखा था कि जब भी आवश्यकता होगी तो उन्हें बुला लेंगे। किन्तु उक्त अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के संबंध में कभी कोई प्रकरण की सूचना नहीं दी गई और उक्त अपीलाण्ट द्वारा जानकारी करने के बाद भी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। अपीलाण्ट कम 1 व 2 के विरुद्ध उक्त प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अपीलाण्ट्स को उक्त निर्णय व डिकी जैर अपील की कोई जानकारी नहीं रही है। उक्त निर्णय एवं डिकी जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट्स को तब हुई तब अभी हाल में ही दिनांक 11.06.2020 को रेस्पोडेण्ट कम 1, 5, 6 ने अपीलाण्ट्स के उक्त खातेदारी की अपील विषय भूमि पर आकर अपीलाण्ट को निर्णय व डिकी दिनांक 23.10.2019 की फोटो प्रति देते हुए उक्त अपील विषयक आराजी पर से बेदखल करने की धमकी दी इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा अगले ही दिन सम्यक तत्परता बरतते हुए दिनांक 12.06.2020 को आधीनस्थ न्यायालय के यहां निर्णय व डिकी की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर नकल दिनांक 12.06.2020 को प्राप्त हुई इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा रूपयों का इंतजाम कर तुरन्त प्रभाव यह अपील सर्वप्रथम जानकारी की तिथी दिनांक 11.06.2020 से यह अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील विषयक आराजी के संबंध में त्रुटिपूर्ण रूप से दावा एवं काउण्टर क्लेम स्वीकार किया था जिसके कारण दावा एवं काउण्टर क्लेम की पृथक–पृथक अपील किये जाने आपेक्षित होने से अपीलाण्ट ने दो पृथक–पृथक अपीले पेश की है जो स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्टस स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 23.10.2019 को निरस्त फरमायी जावे, रेस्पोडेण्ट्स कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद एवं रेस्पोडेण्ट कम 7/1, 7/2, 8/2 का काउण्टर क्लेम निरस्त फरमाया जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट जगन्नाथ ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2019 के विरूद्ध पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के मामले में वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण 5/1 लगायत 5/6, प्रतिवादी नम्बर 6/1 लगायत 6/2 का काउन्टर क्लेम साबित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया है। विवादित आराजी के मामले में प्रकरण विचारण न्यायालय में दिनांक 18.06.1990 से चल रहा था, विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2004 से वाद खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुयी जो दिनांक 08.05.2008 को खारिज कर दी गई एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील प्रस्तुत होने पर एडमीशन स्तर पर ही दिनांक 02.07.2008 को स्वीकार करते हुए प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 11, 12, 13 के रूप में केदार, गोपाल, लटूर पुत्र हीरालाल धाकड को पक्षकार बनाया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण करने के आदेश पारित किये गये। इसके बाद प्रकरण विचारण न्यायालय में चलता रहा दावा एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में 7 तनकियात कायम की गई, अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकीयात दोनों पक्षों के जवाब साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर विधिवत रूप से निर्णय करते हुए अपीलाधीन

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि ग्राम बाघेर में 3 किता की 104 बीघा 8 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 के शामलाती खाते की है। एक्जीविट पी 1 जमाबन्दी सम्बत 2046 से 49 ग्राम बाघेर की पर खसरा नम्बर 201 की 54 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 की 42 बीघा, खसरा नम्बर 207 की 9 बीघा 11 बिस्वा कुल 3 किता की 104 बीघा 8 बिस्वा आराजी खातेदार भंवरी पुत्री बिरधा एवं जमना, जगन्नाथ पिता भैरियां, रत्तीराम, गणेश, छोटू पुत्र रोडा व चन्द बाई बेवा रोडा एवं सुन्दरलाल वल्द धूल्या माली हिस्सा 1/2 एवं रत्तीराम, मथुरालाल पिता कंवरिया, जाति नाई हिस्सा 1/2 खाते दर्ज है। जो वाद में वादी 1 लगायत 2 एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 के रूप में वर्णित है। एक्जीविट 5 नकल जमाबन्दी ग्राम बाघेर सम्वत 2000–2003 न.सफा हाल 232/नं. खाता हाल 142 पर खसरा नम्बर 6 रकबा 115 बीघा 16 बिस्वा आराजी बिरधा, जमना, जगन्नाथ, मुन्द जी हिस्सा 1/2 में व कंवरिया मुन्दजी हिस्सा 1/2 बांट बराबर के खाते दर्ज है। एक्जीविट 6 नकल जमाबन्दी ग्राम बाघेर सम्वत 2000–2003 न.सफाहाल 225/नं. खाता हाल 135 पर खसरा नम्बर 656/8 रकबा 10 बिस्वा आराजी बिरघा बालिग, जमना, जगन्नाथ नाबालिग बविलायत बिरधा जाति माली के खाते दर्ज है। प्रदर्श– 4 नकल बैयनामा दिनांक 12.05.1971 है। जिसमें रत्तीराम छोटेलाल, गणेश, पिसरान रोडू, चन्द्री बेवा रोडू, जाति माली, निवासी हरिगढ़ ने अपने खाता व हिस्सा की खसरा नं. 7 की 115 बीघा 16 बिस्वा में से 14 बीघा 9 बिस्वा आराजी का बेचान 5400/– रूपये में केदार गोपाल, लटूर, पिसरान हीरालाल, जाति धाकड, निवासी खेडा हरिगढ को बांट बराबर से किया है। एक्जीविट पी 3 वाद पत्र बउनवान जगन्नाथ बनाम रत्तीराम न्यायालय परगना अधिकारी, अकलेरा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.01.1976 है। जिसमें ग्राम बाघेर, तहसील खानपुर की पुराने खाते के अनुसार नं. 7 की 115 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से 14 बीघा 9 बिस्वा भूमि का बेचान प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 द्वारा प्रतिवादीगण 10, 11, 12 के पक्ष में दिनांक 12.05.1971 वादी व दीगर शामलात खातेदारान के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध है। अतः बेअसर घोषित किया गया, प्रतिवादी क्रम 10, 11, 12 का कब्जा हटाया जाकर शामलात खातेदारान को कब्जा सम्भलाने का आदेश दिया गया, इस प्रकार 117 बीघा 17 बिस्वा में उक्त बेचान की आराजी कम होने पर रकबा 104 बीघा 8 बिस्वा रह गया जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3, 4 का कोई अधिकार नहीं रहा। ऐसी स्थिति में वादीगण इस आराजी 104 बीघा 8 बिस्वा में से प्रतिवादी 1, 2, 3, 4 का नाम हटवाने एवं सम्पूर्ण आराजी 117 बीघा 17 बिस्वा पर वादीगण 1 व 2 एवं प्रतिवादी 5 लगायत 8 खातेदार टीनेन्ट घोषित होने के अधिकारी माना गया। उक्त सभी तथ्य मध्य नजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजी में अपीलान्ट का कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहता ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील आधारहीन एवं सारहीन है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज होने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2019 को बहाल किया जावे।

अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। धारा 96 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया गया ।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली राजस्व मण्डल, राजरथान अजमेर के निर्णय दिनांक 02.07.2008 से केदार, गोपाल, लटूर पिसरान हीरा लाल धाकड को पक्षकार बनाकर पुनः नियमानुसार सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई गयी थी। वादी के द्वारा संशोधित टाईटल दिनांक 31.03.2010 को पेश किया। उसमें केदार,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
[illegible] अपील प्राधिकारी, कोटा

लटूर, गोपाल को पक्षकार तो बनाया, परन्तु उनकी वल्दियत हीरा लाल की जगह धूलीलाल लिख दी गई। जबकि केदार, लटूर, गोपाल के पिता का नाम हीरालाल है इसलिए यह सुनवाई से वंचित रह गये। प्रस्तुत अपील संख्या 35/2020 व 41/2020 में अपीलांट का कथन है कि केदार और लटूर को गलत रूप से नोटिस सम्मन तामील करवाये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि –

प्रथम बार केदार, लटूर को दिनांक 03.06.2010 को नोटिस जारी किये गये तथा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दिनांक 04.07.2010 तिथि नियत की गई, जिस पर तामील कुलिन्दा द्वारा नोट अंकित किया गया कि ग्राम खेड़ा में जाकर आस–पास मालुम किया तो इस नाम का कोई नहीं रहता है। नोटिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है।

दूसरी बार केदार, लटूर को दिनांक 30.05.2012 को नोटिस जारी किये गये तथा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दिनांक 25.07.2012 तिथि नियत की गई, जिस पर बाद तामील रजिस्टर्ड ए. डी. लिफाफा प्राप्त होने पर लिफाफे पर अपूर्ण पता का नोट अंकित है।

तीसरी बार केदार पुत्र धुलीलाल, लटूर पुत्र हीरालाल को दिनांक 03.07.2013 को नोटिस जारी किये गये तथा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दिनांक 14.08.2013 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया सम्मन पर कमांक 1125 दिनांक 03.07.2013 के द्वारा राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर में प्रकाशनार्थ करने हेतु लिखा।

चौथी बार केदार पुत्र धुलीलाल, लटूर पुत्र हीरालाल को दिनांक 18.09.2013 को नोटिस जारी किये गये तथा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दिनांक 06.11.2013 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया सम्मन पर कमांक 1529 दिनांक 19.04.2013 के द्वारा सम्पादक महोदय, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर/दैनिक नवज्योति कोटा को प्रकाशनार्थ करने हेतु लिखा।

पाचवी बार केदार पुत्र हीरालाल, लटूर पुत्र हीरालाल को दिनांक 05.03.2014 को नोटिस जारी किये गये तथा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दिनांक 09.04.2014 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया सम्मन पर कमांक 505 दिनांक 05.03.2014 के द्वारा सम्पादक महोदय, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर/दैनिक नवज्योति कोटा को प्रकाशनार्थ करने हेतु लिखा।

छठी बार केदार पुत्र धुलीलाल, लटूर पुत्र हीरालाल को दिनांक 14.05.2014 को नोटिस जारी किये गये तथा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दिनांक 25.06.2014 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया सम्मन पर कमांक 650 दिनांक 14.05.2014 के द्वारा सम्पादक महोदय, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर/दैनिक नवज्योति कोटा को प्रकाशनार्थ करने हेतु लिखा।

सातवी बार केदार पुत्र धुलीलाल, लटूर पुत्र हीरालाल को दिनांक 10.10.2014 को नोटिस जारी किये गये तथा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दिनांक 15.10.2014 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया सम्मन पर सम्पादक महोदय, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर /दैनिक नवज्योति कोटा को प्रकाशनार्थ करने हेतु लिखा।

आठवी बार केदार पुत्र धुलीलाल, लटूर पुत्र धुलीलाल को दिनांक 09.09.2015 को नोटिस जारी किये गये तथा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दिनांक 14.10.2015 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया सम्मन पर कमांक 1894 दिनांक 09.09.2015 के द्वारा सम्पादक महोदय, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर /दैनिक नवज्योति कोटा को प्रकाशनार्थ करने हेतु लिखा।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजस्थान पत्रिका झालावाड़ गुरूवार दिनांक 01.10.2015 को प्रकाशन के पेज नम्बर 11 पर केदार पुत्र धुलीलाल धाकड़, खेड़ा तहसील खानपुर, जिला झालावाड तथा लटूर पुत्र धुलीलाल जाति धाकड, खेड़ा तहसील खानपुर, जिला झालावाड प्रकाशित किया गया। जिसको अधीनस्थ न्यसायालय द्वारा तामील होना मानकर आदेशिका दिनांक 16.01.2016 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पक्षकारान के पिता की वल्दियत नोटिस में गलत अंकित होने के कारण अखबार में प्रकाशित नोटिस को सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार तामील होना नहीं माना जा सकता।

प्रस्तुत अपील संख्या 34/2020 व 40/2020 में अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी कम 4 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने की प्रार्थना की है तथा पूरे वाद में

(दीप्ति रामचंन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट/प्रतिवादी कम 4 सुन्दरलाल के विरूद्ध कोई वर्णन नहीं है तथा प्रार्थना में वादीगण के साथ अपीलांट (प्रतिवादी कम 4) का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने की प्रार्थना की है तथा निर्णय में अपीलांट (प्रतिवादी कम 4) का नाम हटा दिया जो अवैध व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 में कहीं पर भी अपीलांट/प्रतिवादी कम 4 का नाम हटाने सम्बन्धी तथ्य का अंकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 4 की विवेचना करते समय अपीलांट सुन्दरलाल/प्रतिवादी कम 4 का नाम खाते से क्यों हटाया इस सम्बन्ध में किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया है, केवल मात्र निर्णय में प्रतिवादी नम्बर 4/1 लगायत 4/3 का नाम खाते से खारिज करने का आदेश पारित किया है, जो कि अवैधानिक होने से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

दोनों अपीले एवं दोनों काउंटर क्लेम एक समान पक्षकार एवं प्रकृति के होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर चारों अपील संख्या 2020/00057, अपील संख्या 2020/00066, अपील संख्या 2020/00058 व अपील संख्या 2020/00067 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि संशोधित टाईटल मुताबिक प्रतिवादी संख्या 10, 11, 12 के पिता का नाम हीरा लाल अंकित करते हुए पेश करें तथा सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार उभयपक्षकारों को तामील करावें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में सुन्दरलाल के वारिसान प्रतिवादी नं. 4/1 से 4/8 हैं लेकिन प्रतिवादी नं. 4/1 से 4/3 का नाम किस आधार पर खारिज किया गया है इस बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की है। अतः उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के न्यायालय में दिनांक 23.02.2014 को उपस्थित होवें। **प्रकरण 33 साल पुराना है। अतः 6 माह की अवधि के अन्दर प्रकरण का निस्तारण करें।**

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/01/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा